भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं.6/15/2022-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक 09 फरवरी, 2024

<u>जांच समाप्ति अधिसूचना</u>

<u>(मामला सं. एडी (ओआई) 15/2022</u>

विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'विटामिन-ए पाल्मीटेट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की समाप्ति ।

क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (इसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार पिरामल फार्मा लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक', 'आवेदक कंपनी' या 'पीपीएल' भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पाल्मीटेट" (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/15/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर, 2022 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने के पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

4. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/15/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर, 2022 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

5. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के बाद जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, आवदेक कंपनी तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों को भेजी थी और नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार विहित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध उनसे किया था।

6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति दी थी।

7. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनकी देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली को संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ-साथ दूतावास को भी भेजा गया था।

8. जांच शुरूआत अधिसूचना और सूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों तथा आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और कानूनी अनुरोध प्रस्तुत करके प्राधिकारी को उत्तर दिया था।

9 सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी।

10. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए दिनांक 22 जून, 2023 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की थी।

ग. आवेदक कंपनी से प्राप्त अनुरोध

11. आवेदक ने दिनांक 17 जनवरी, 2024 के अपनी ई-मेल के माध्यम से याचिका वापस ले ली है और निम्नलिखित कारण बताते हुए जांच समाप्त करने का अनुरोध किया है:

"पीपीएल का इरादा अधिक हाल की अवधि के लिए पाटन और क्षति की पूरी मात्रा के लिए समुचित उपचार की मांग करते हुए नया आवेदन प्रस्तुत करने का है क्योंकि चीन से आयातों की मात्रा काफी अधिक बढ़ गई है और कीमतें लगातार घट रही हैं। अन्य देशों से निर्बाध पाटन की साथ-साथ इसकी वजह से घरेलू उद्योग को संचयी रूप से अत्यधिक क्षति हुई है।"

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. आवेदक कंपनी द्वारा किए गए उक्त अनुरोध की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे। यदि *''उन्हें उस पीड़ित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है जिसके अनुरोध पर जांच शुरू की गई थी" ।*

13. आवेदक कंपनी द्वारा याचिका वापस लेने और जांच समाप्त करने के उसके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अनेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करना उचित नहीं समझते हैं और एतदद्वारा यह जांच समाप्त करते हैं।

ड. निष्कर्ष

14. आवेदक कंपनी अर्थात पिरामल फार्मा लिमिटेड द्वारा की गई याचिका को वापस लेने के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 14(क) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी एतदद्वारा चीन जन. गण. यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पाल्मीटेट" के आयातों से संबंधित अधिसूचना फा. सं. 6/15/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर, 2022 के माध्यम से शुरू की गई पाटनरोधी जांच को समाप्त करते हैं ।

31.12

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी